



17/164

**BEFORE THE BOARD OF REVENUE MP AT GWALIOR (MP)**

REVENUE REVISION NO. 319-II / OF 2006

**SURAJ PRASAD JAISWAL**, aged about 58 years,  
S/o Ramratan, Cultivator, R/o Village & Post  
Dasarman, P.S.Majhgavan, Tehsil Dhimerkheda,  
District KATNI (MP)

*Handwritten signature and notes in margin*

\*\*\*\*\* **APPLICANT**

**-VERSUS-**

THE STATE OF MADHYA PRADESH,  
Through the Collector, Katni (MP)

\*\*\*\*\* **RESPONDENT**

2006

**REVISION UNDER SECTION 50 OF THE M.P.L.R.CODE 1959**

AGAINST THE ORDER DATED 22-11-2005 PASSED BY THE COURT OF THE COMMISSIONER, JABALPUR DIVISION, JABALPUR IN SECOND APPEAL NO. 31/A-1/1999-2000 AND ARISING OUT OF ORDER PASSED ON 23-1-1982 IN REVENUE APPEAL NO. 24/A-1/1980-81 BY THE COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR, KATNI AND THE ORIGINAL ORDER DT. 24.3.1981 PASSED IN REVENUE CASE NO. 357/A-68-1975 BY THE COURT OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER SIHORA, DISTRICT JABALPUR (MP).

Being aggrieved by the aforesaid impugned order, the Appellant begs to prefer this Revision on the following facts and grounds :-

**FACTS**

- 1- An encroachment case no. 357/A-68/1975-76 was registered by the Court of the Naib Tahsildar Sihora against the Applicant Suraj Prasad S/o Ramratan of village Dasarman on the basis of a Report lodged by the Patwari of Circle No.74 to the effect that the aforesaid Suraj Prasad had illegally encroached upon Government Grass land bearing Khasra No. 62/1, area 6.15 acres and Khasra No.63 area 0.23 acres (total area 6.38 acres) without permission and had sown Kodon Crop

*Handwritten notes and signatures in the left margin*

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 319-दो/06

जिला -कटनी

स्थान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश
16.8.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री आर० डी० शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा- 152 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 319-दो/06 में आदेश दिनांक 17.3.16 में पैरा क्रमांक-2 के तीसरी लाईन में सर्वे क्रमांक 62/1 के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि के कारण सर्वे क्र० 61/1 टंकित हो गया है। अतः सर्वे क्रमांक 61/1 के स्थान पर 62/1 करने का निवेदन किया है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश के पैरा क्रमांक 2 की तीसरी लाईन में सर्वे क्रमांक 61/1 के स्थान पर सर्वे क्रमांक 62/1 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।</p>

R  
1/16

  
सदस्य

प्रकरण  
अंश  
दिनांक  
पृष्ठ

164

समक्ष: एम0के0 सिंह  
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 319-दो/06 विरुद्ध आदेश दिनांक  
22-11-2005 पारित द्वारा कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर  
प्रकरण क्रमांक 31/अ-1/99-2000.

-----

सूरज प्रसाद जायसवाल पुत्र रामरतन  
निवासी ग्राम एवं पोस्ट दासरमन पी.एस. मझगवां,  
तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी म.प्र. ----- आवेदक

विरुद्ध

म0 प्र0 शासन  
द्वारा कलेक्टर, कटनी म.प्र. ----- अनावेदक

-----

श्री आर. डी. शर्मा, अधिवक्ता, आवेदक ।  
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता अनावेदक ।

-----

:: आदेश ::

( आज दिनांक 17 - मार्च, 2016 को पारित )

-----

यह निगरानी कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण  
क्रमांक 31/अ-1/99-2000 में पारित आदेश दिनांक  
22-11-2005 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959  
( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत पेश  
की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सुन्तरा  
पटवारी हल्का नं. 74 रा0नि0मं0 मंझगवां तहसील सिहोरा जिला





जबलपुर स्थित भूमि सर्वे नंबर 61/1 रकबा 6.15 एकड़ तथा खसरा नं. 63 रकबा 0.23 एकड़ पर आवेदक द्वारा अतिक्रमण किए जाने की रिपोर्ट पटवारी ने प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई। आवेदक ने दिनांक 22-7-78 को अपना जबाव पेश किया, जिसमें उसने स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित करने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 57 (2) के तहत प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 24-3-1981 द्वारा आवेदक का दावा अमान्य किया। इसके विरुद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर, कटनी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 23-1-1982 द्वारा निरस्त की। अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध आवेदक ने द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जो आयुक्त ने आलोच्य आदेश दिनांक 22-11-05 द्वारा निरस्त की गई है। आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

- 3/ प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक तर्क श्रवण किये गये उनके द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई है।
- 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे उसका प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व सिद्ध हो। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित एवं विधिसम्मत बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।
- 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में विचारणीय बिंदु यह है कि क्या दस्तावेजों पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर




आवेदक विवादित भूमि पर काबिज होकर स्वत्व प्राप्तकर्ता है और क्या अधीनस्थ न्यायालयों ने अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्षी का सही अवलोकन कर आदेश पारित किए गए हैं । इस संबंध में अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व से उसका कब्जा होने का आधारभूत एवं पूर्व मालगुजार द्वारा संवत् 1997 में किए गए विक्रय की रसीद एवं खसरा संवत् 1908 एवं 1909 खसरा नं. 62 एवं 63 प्रदर्श पी 2 एवं रजिस्टर विक्रय पत्र प्रदर्श पी-1 एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य का शासन की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है और ना ही विरोध स्वरूप कोई प्रतिपरीक्षण किया गया । अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर सम्यकरूपेण विचार न कर वैधानिक त्रुटि की है । आवेदक द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं एवं तीन अन्य साक्षियों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । इन साक्षियों की साक्ष्य का भी कोई खंडन शासन की तरफ से नहीं किया गया है । उक्त तीनों साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मालगुजारी के पहले से आवेदक के पिता को वादग्रस्त भूमि पर कास्त करते देखते चले आ रहे हैं । मालगुजारी समाप्त होने के पश्चात भी आवेदक के पिता लगातार और उनके निधन के पश्चात से स्वयं आवेदक को काबिज रहते हुए कास्त करते देखा है, ऐसा कथन किया है इन साक्षीगणों का शासन के तरफ से प्रतिपरीक्षण पर इन बिंदुओं पर कोई विपरीत ऐसी बात सामने नहीं ला सका है जो आवेदक के कब्जे के संबंध में प्रस्तुत किए गए तथ्यों के विपरीत कोई तथ्य उजागर कर सके । स्वतंत्र तीनों साक्षियों ने आवेदक के कब्जे को प्रमाणित किया है तथा तीनों साक्षियों की विवादित भूमि से लगी हुई भूमियां हैं इस कारण इन साक्षियों के कथन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य में लाए गए जिन तथ्यों पर




प्रतिपरीक्षण न हो अथवा प्रतिपरीक्षण में कोई विपरीत तथ्य सामने न आ पाये हों तो उन तथ्यों को सिद्ध माना जाता है । इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आवेदक विवादित भूमि पर काबिज है तथा लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा विवादित भूमि का स्वरूप घास व चरनोई में परिवर्तित नहीं हुआ है ।

6/ आवेदक का दावा संहिता की धारा 57(2) के तहत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । समर्थन में आवेदक द्वारा स्वत्व को प्रमाणित करने के लिए 1908 के मिसल बंदोवस्त प्रदर्श पी-2 एवं मालगुजार द्वारा की गई विक्रय की रसीद प्रदर्श पी-1 प्रस्तुत की गई है एवं समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में तीन गवाहों की साक्ष्य भी पेश की गई है उक्त साक्षियों का प्रतिपरीक्षण में कोई प्रश्न नहीं किए गए एवं खण्डन स्वरूप कोई तथ्य उजागर नहीं किए गए ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वतः से संबंधित दस्तावेजों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है । इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकों के पूर्वजों की संपत्ति है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 57 (2) के तहत आवेदक का दावा सुनने का अधिकार है एवं आवेदक अपना दावा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रमाणित करने में सफल रहा है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1981 आर0एन0 23 अवलोकनीय है । इस न्यायदृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :-

” भू-राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 57 (2) - स्वामित्व समाप्ति के पूर्व भूमि आवेदक के कब्जे में थी - भूतपूर्व मालगुजार को नजराना देकर भूमि प्राप्त की गई थी - आवेदक को सूचना दिए बिना ऐसा आदेश आवेदक के अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता । ”

इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1973 आर0एन0 540 में यह व्यवस्था




दी गई है कि -

” भू-राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 57 (2) - विस्तार राज्य में भूमि निहित होने का आदेश आवेदक को सुने बिना दिया गया - विवाद उठाया, जा सकता है घास के रूप में प्रविष्टि विवादित की जा सकती है । ”

अभिलेख से स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि जब घास व चरनोई में दर्ज की गई थी, तब संहिता की धारा 234 के तहत आवेदक व उसके पूर्वजों को नोटिस नहीं मिला, जबकि संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी भूमि में यदि कोई परिवर्तन या हेरफेर किया जाता है तब हितबद्ध व्यक्ति को सूचना दिए बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । इस बिंदु पर शासन की तरफ से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि आवेदक व उसके पूर्वजों को भूमि परिवर्तन के समय सूचना दी गई थी । इस बिंदु पर न्यायदृष्टांत 2013 (2) एम.पी.एल.जे. 642 अवलोकनीय है इस न्याय दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हितबद्ध व्यक्ति को सुने बिना भूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । उक्त न्यायदृष्टांत के आधार पर आवेदक का नाम वादग्रस्त भूमि से परिवर्तित करना विधि के सिद्धांतों के विपरीत है ।


7/ जहां तक विद्वान आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा यह अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आहूत किए बिना आदेश पारित किये जाने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उन्हें मूल अभिलेख बुलाकर तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना कर आदेश पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन/जबाब धारा 57 (2) के तहत प्रकरण स्थापित न होने के आदेश भी विधि विरुद्ध हैं । आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । संहिता की धारा 57 (2) में उन विवादों के विनिश्चयन का प्रावधान है





जो राज्य तथा अन्य किसी व्यक्ति के बीच उस संपत्ति के विषय में उत्पन्न हो जिस पर राज्य भी अपना दावा करता हो । इस धारा में ऐसी कोई परिसीमा नियत नहीं की गई है कि केवल उसी अधिकार के विषय में विवाद उठाया जा सकेगा जो जीवित हो । इस प्रकरण के विषय में विवाद की कोई भूमि उचित और वैध रूप से शासन की मानी गई थी या नहीं इस धारा में सीमा में आता है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1973 आर0एन0 540 अवलोकनीय है ।

8/ अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक का दावा संहिता की धारा 57(2) के तहत न होने के कारण निरस्त किया है जिसकी पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं हैं क्योंकि उनके द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी 1 एवं पी-2 एवं रजिस्टर्ड विक्रय तथा मौखिक साक्ष्य की समुचित विवेचना नहीं की गई है जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक का लम्बे समय से कब्जा माना है तथा यह प्रमाणित किया है कि आवेदक विवादित भूमि में काबिज है । अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर यह निष्कर्ष दिया है कि संहिता की धारा 57(2) लागू होती है या नहीं यह विधि का प्रश्न है न की तथ्यों का । अधीनस्थ न्यायालयों ने इस को भी अनदेखा किया गया है कि शासन द्वारा किसी भूमि का परिवर्तन करने के पूर्व हितबद्ध व्यक्ति को नोटिस दिए बिना परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन पूर्व जब हितबद्ध व्यक्ति के कब्जे से संबंधित स्वत्व से संबंधित प्रश्न उठता है वहां पर धारा 57(2) के तहत विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है और वहां पर परिसीमा का प्रश्न नहीं उठता है । आवेदक द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है के आधार पर प्रकरण संहिता की धारा 57(2) के तहत चलाया जा सकता है । अतः प्रकरण






की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्र0क0 31/अ-1/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 22-11-2005, अपर कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/अ-1/80-81 में पारित आदेश दिनांक 23-1-82 एवं अनुविभागीय अधिकारी, सिहोरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 357/अ-68/75-76 में पारित आदेश दिनांक 24-3-81 निरस्त किए जाते हैं । तहसीलदार, ढीमरखेड़ा को निर्देश दिए जाते हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये और तदनुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किए जायें ।

R  
1x

  
( एम0 के0 सिंह )

सदस्य,  
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,  
ग्वालियर